राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—पं.( )/निपेवि/लेखा/बजट/2020—21 | 378-S   दिनांकः— 15.09.2020

समस्त विभागाध्यक्ष/
समस्त कार्यालयाध्यक्ष/
समस्त कोषाधिकारी

विषयः— Pri-Paymanager से वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(थ—75)/DTA/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु संख्या 7 व 8 के क्रम में सेवानिवृत कर्मचारी का पीपीओ जारी हो जाने पर सेवानिवृत तिथि के पश्चात् IFPMS पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु बजट आवंटन किया जाता है। इस क्रम में अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों एवं जिला परिषदों में कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश के बजट आवंटन हेतु मार्गदर्शन मांगे जा रहे हैं।

इस संबंध में लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3575 दिनांक 03.07.2017 के अनुसार पंचायती राज कार्मिकों का सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान पी.डी. खाते से संवेतन मद के अन्तर्गत किया जाना है एवं राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान वित्त विभाग (जी एण्ड टी अनुभाग) के आदेश दिनांक 26.03.2002 के अनुसार बजट मद 2071 से किया जाना है। इस संबंध में निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा भी अपने पत्रांक 1606 दिनांक 30.10.2018 द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को अवगत करवाया गया है।

अतः पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश का भुगतान बजट मद 2071 से एवं पंचायती राज कार्मिकों के सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान पी.डी. खाते से संवेतन मद के अन्तर्गत किया जाना है।

भवदीय

(सुल्तान सिंह)
निदेशक

क्रमांकः—पं.( )/निपेवि/लेखा/बजट/2020—21   दिनांकः—

प्रतिलिपि— अति0 निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं जोधपुर।

अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)